प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक – 31.03.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ महोदय एवं श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन, श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे ***"#Operation Conviction"*** अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-अभियोजन समन्वय के फलस्वरूप मा0 न्यायालय **(सत्र न्यायाधीश, सोनभद्र)** द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:

थाना: घोरावल, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0: 164/2022

एस0टी0 नं0: 781/2022

धारा: 304, 201 भादवि0

अभियुक्तगण:

1. रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाटे पुत्र पुदिन हरिजन
2. कृष्णावती पत्नी रामलखन उर्फ रवि उर्फ बाटे

समस्त निवासीगण महुआंव पाण्डेय, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:

1. धारा 304 भादवि0 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को **10-10 वर्ष** का कारावास एवं **₹10,000-₹10,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2. धारा 201 भादवि0 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत **03-03 वर्ष** का कारावास एवं **₹2,000-₹2,000/-** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर **03-03 माह** का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:

उक्त प्रकरण में थाना घोरावल पुलिस, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सुदृढ़ साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कराते हुए दण्डित कराया गया।

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं सुदृढ़ अभियोजन के माध्यम से दोषियों को दण्डित कराए जाने की कार्यवाही निरंतर जारी है।